BULANDSHAHR POLICE

दिनांक 24 जनवरी, 2025

"ऑपरेशन कन्विक्शन"अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने के आरोपी को 12 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,00,000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-

अवगत कराना है कि अभियुक्त निजाम पुत्र फकीरा निवासी मौ0 सादात टंकी के पास थाना औरंगाबाद जनपद बुलन्दशहर द्वारा वर्ष-2023 में एक युवती को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके संबंध में दिनांक 28.02.2023 को थाना औरंगाबाद पर मुअसं– 47/2023 धारा 376/323/313/384/506 भादवि पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 27.04.2023 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विक्शन"के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसमें अभियुक्त के विरुद्ध 06 गवाह परिक्षित हुए, जिसके परिणामस्वरुप **आज दिनांक 24.01.2025 को न्यायाधीश श्री शिवानन्द (मा0 न्यायालय एडीजे/एफटीसी- 03 जनपद बुलन्दशहर) द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त निजाम को 12 वर्ष का सश्रम कारावास व 1,00,000/- रुपये अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया।** अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री ध्रुव कुमार वर्मा व श्री भूपेन्द्र राजपूत का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

मीडिया सैल बुलन्दशहर।